संख्या–1362/V–2/87(आ0)16/2016

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

1– मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

2– उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

3– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
देहरादून।

आवास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

विषय– देहरादून महायोजना 2005–25 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा महायोजना क्षेत्र में जोनल प्लान हेतु निर्धारित जोन–5 में बहुमंजिला व्यावसायिक निर्माण पर अस्थाई प्रतिबन्ध को निरस्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण बोर्ड के निंर्णय दिनांक 24.12.2014 द्वारा देहरादून महायोजना क्षेत्र में जोनल प्लान हेतु निर्धारित जोन संख्या–5 में नये व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति पर अस्थायी प्रतिबन्ध लगाया गया है।

अतः इस संबंध में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1973 की धारा–41(1) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि देहरादून महायोजना क्षेत्र में जोनल प्लान हेतु निर्धारित जोन संख्या–05 में नये व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति पर अस्थायी प्रतिबन्ध को एतदद्वारा निरस्त किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिया गया है।

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव